आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद सं० 03/11-12, 02/2013 कपिलदेव रजक

आदेश का क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
	आदेश	
30.05.17	दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा अगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में अधिवक्ता के माध्यम् से कपिलदेव रजक, साकिन–रामपुर, थाना–गोगरी, जिला– खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील विविध वाद सं0 $\frac{03}{02}/\frac{11-12}{2013}$ कपिलदेव रजक, साकिन–रामपुर, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 618, दिनांक 12.03.2011 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में कहा गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संयुक्त रूप से जांच करायी गयी तथा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण किया गया जिसका जबाव उन्हें दिया गया तथा उनके जवाब पर सम्यक विचार नहीं की गयी तथा उनके जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या 79/G–2007 को दिनांक 12.03.2011 को रद्द कर दिया गया जो बिल्कूल न्याय संगत नहीं है। उन्होंने अपने अपील आवेदन में कहा है कि उनके वितरण पंजी एवं अन्य कागजात को बिना देखे, जांच किए आदेश पारित किया गया जो विधि संगत नहीं है। उन्होंने अपील को स्वीकार कर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 12.03.2011 को पारित आदेश को रद्द करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को आवंटन चालू करने का निदेश देने का अनुरोध किया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपना–अपना तर्क प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए अनमंडल पदाधिकारी, गोगरी के द्वारा ज्ञापांक 618, दिनांक 12.03.2011 को पारित आदेश को रद्द करते हुए अनुज्ञप्ति संख्या 79 G/2007 को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया। सरकारी अधिवक्ता के अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी। दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।	

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि :–

1. जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता श्री कपिलदेव रजक के विरूद्ध उपभोक्ताओं द्वारा कार्यालय आकर शिकायत एवं प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा स्वयं दिनांक 08.03.2011 को बिक्रेता श्री कपिलदेव रजक अनुज्ञप्ति सं0 79 G/07 का दूकान का निरीक्षण किया गया। दूकान बंद पाये जाने के कारण ज्ञापांक 522, दिनांक 08.03.2011 से स्पष्टीकरण पूछते हुए वितरण संबंधित सभी कागजातों की मांग की गयी। उपभोक्ताओं के शिकायत पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी द्वारा भी संयुक्त रूप से जाँच किया गया।
2. संयुक्त जांच प्रतिवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के पत्रांक 593, दिनांक 11.03.2011 को प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी द्वारा उपभोक्ताओं के बीच जाकर जांच किया गया जाँच के क्रम में उपभोक्ताओं से पूछताछ किया गया एवं ब्यान भी लिया गया। उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि किरासन तेल प्रत्येक माह के तीन लीटर के बदले ढ़ाई लीटर दिया जाता है।
3. अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता से ब्रिकी पंजी के साथ अन्य पहलुओं पर स्पष्टीकरण की मांग किये परंतु स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण स्पष्टीकरण अस्वीकृत किया गया।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में अनियमितता की शिकायत सही पाया गया तथा अनुज्ञप्ति सं0 79 G/07 को रद्द कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री कपिलदेव रजक द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्र से कम किरासन तेल देना तथा उपभोक्ताओं को ससमय खाद्यान उपलब्ध नहीं कराना अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का घोर उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 12.03.2011 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।